फा.सं. 15-1/2016-एकेड.
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

फरवरी 22, 2023

अधिसूचना

"विदेश में सम्मेलन/सेमिनार में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता के लिए योजना" में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमेय शैक्षणिक अवकाश, पंजीकरण शुल्क, टीए/दावे की प्रतिपूर्ति, आदि के साथ सम्मेलन/सेमिनार में भाग लेने के लिए तथा शोध-पत्र प्रस्तुत करने/किसी सत्र की अध्यक्षता करने के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देशों या तौर-तरीकों का पालन किया जाना चाहिए:

(i) संकाय सदस्य तीन वर्षों में एक बार सहायता के पात्र होंगे और पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल दो बार ही पात्र होंगे।

(ii) ऐसे युवा होनहार संकाय सदस्यों को वरीयता दी जाएगी जो लंबे समय तक संस्थान की सेवा करेंगे।

(iii) पड़ोसी देश और अन्य विकासशील देश में आयोजित सम्मेलनों में भाग लेने वाले संकाय सदस्यों को वरीयता दी जाएगी।

(iv) नीपा के पास सेमिनारों, सम्मेलनों में प्रस्तुत शोध-पत्र को सेमिनार/सम्मेलन आयोजकों के इसे प्रकाशित करने के अधिकार को प्रतिबंधित किए बिना अपने जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (जेईपीए) और हिंदी में परिप्रेक्ष्य अथवा अपने समसामयिक पेपर सीरीज में प्रकाशित करने का अधिकार सुरक्षित है।

तदनुसार, सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण समूह 'क' के कार्मिकों से अनुरोध है कि वे सम्मेलन/सेमिनार की तारीख से कम से कम एक माह पूर्व समीक्षा के लिए आयोजकों से स्वीकृति पत्र के साथ अपना पूरा शोध-पत्र (हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी) जमा करें ताकि उपयुक्त निर्णय लेने से पूर्व शोध-पत्र को समीक्षा समिति को और अन्य औपचारिकताओं हेतु भेजा जा सके।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

सेवा में:

सभी संकाय सदस्य और समूह 'क' अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

- कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव - कुलपति को सूचनार्थ
- कुलसचिव के निजी सहायक - रिकॉर्ड के लिए
- सिस्टम एनालिस्ट (अनुरोध है कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें)
- अनुभाग के गार्ड फाइल
- मास्टर फाइल